

राजस्थान – सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/28)रानि/आकाशि/2018-19/ 515

दिनांक : 13-11-2019

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य निधि मद के अन्तर्गत माँग संख्या -30 में विस्तृत लेखा शीर्ष मदों में निम्नलिखित नवीन राजकीय महाविद्यालयों को उनके सम्मुख बजट मद में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है :-

माँग संख्या-30

2202	—	सामान्य शिक्षा
03	—	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
796	—	अनुसूचित जनजाति के लिए
01	—	राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)

(राशि लाखों में)

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	मद			
		01- संवैतन	31- पुस्तकालय	33- प्रयोगशाला	62- कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय
1	राजकीय महाविद्यालय, पीपलखूंट	10.00	0.75	0.50	1.00
2	राजकीय महाविद्यालय, सज्जनगढ़	10.00	0.75	0.50	1.00
3	राजकीय महाविद्यालय, लसाडिया	10.00	0.75	0.50	1.00
	योग	30.00	2.25	1.50	3.00

व्यय विभागीय निर्देश एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना कर किया जावे।

(राजकुमार मीना)
 वित्तीय सलाहकार
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
 जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29) आयो/आकाशि/19-20/

916-919

दिनांक 13-11-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक (आयोजना), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि 01- संवैतन मद के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि का व्यय 15 दिसम्बर 2019 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करे निश्चित तिथि तक राशि का व्यय नहीं किये जाने पर राशि का आहरित कर लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी साथ ही मासिक व्यय का विवरण भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार